आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपीलवाद सं0-80/2023

योगेन्द्र राम

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य (द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा)

आदेश

01.04.2024

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No.5189/2023 में दिनांक 01.11.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित हैः-

".....Having regard to the limited prayer made by the petitioner in the present writ petition, I deem it fit and proper to direct the Commissioner, Saran Division at Chapra to dispose off the aforesaid appeal filed by the petitioner, in case the same has not already been disposed off, by passing a reasoned and a speaking order, in accordance with law, within a period of eight weeks of receipt/production of a copy of this order.

The present writ petition stands disposed off on the aforesaid terms."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि अपीलकर्ता श्री योगेन्द्र राम, चौकीदार हल्का नं0-01/3, थाना+अंचल कार्यालय-तरैया, जिला-सारण को शराब कारोबारी के मदद के आरोप में तरैया थाना कांड सं0-287/21, दिनांक 03.09.2021 धारा (ए) **बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम** के तहत दिनांक 17.09.2021 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 18.09.2021 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सारण जिलादेश सं0-80/2021 (दफा0/चौ0) द्वारा अपीलकर्ता को तत्काल प्रभाव दिनांक 17.09.2021 से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। अपीलकर्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा को संचालन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी, तरैया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-188, दिनांक 04.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप का सार, आरोप के विरूद्ध साक्ष्य, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का प्रतिवेदन/अभियोजन का पक्ष एवं अपीलकर्ता का पक्ष पर मंतव्य अंकित किया गया है कि *"उपरोक्त संपूर्ण वर्णित तथ्यों एवं दाखिल कागजातों के अनुसार स्पष्ट है कि आरोपी चौकीदार योगेन्द्र राम बीट सं0-01/03 थाना तरैया के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है।"* संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा अपीलकर्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा प्राप्त किया गया तथा मामलें की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में अपीलकर्ता को शराब बंदी कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया। तदनुसार, **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005** तथा संशोधित **नियमावली 2007 के नियम-14(xi)** के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण के ज्ञापांक-1721/सा0, दिनांक 16.11.2022 द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया कि, *"श्री योगेन्द्र राम, चौकीदार,*

Scanned with CamScanner

हल्का नं0-01/03, थाना+अंचल कार्यालय, तरैया, जिला-सारण के द्वारा पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून का उल्लंघन की गयी है, जिसके लिए उनके विरूद्ध तरैया थाना कांड सं0-287/21 दिनांक 03.09.2021 में प्राथमिकी दर्ज है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में भी आरोपित कर्मी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होते है। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए.....बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14(xi) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री योगेन्द्र राम, चौकीदार 01/03 को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismissal from Service) करने का दंड अधिरोपित करता हूँ।''
उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वादी द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक 27.02.2023 को सेवा अपीलवाद प्रस्तुत किया गया, जिसे विभिन्न तिथियों यथा दिनांक 12.05.2023, दिनांक 02.06.2023, दिनांक 23.06.2023, दिनांक 11.08.2023, दिनांक 06.10.2023 एवं दिनांक 03.11.2023 को ग्रहण के बिन्दु पर सूचीबद्ध किया गया। परंतु अपीलीय प्राधिकार के समक्ष उपस्थित न होकर अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No.5189/2023 दायर कर दिया गया, जिसमें दिनांक 01.11.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गई है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि तरैया थाना कांड सं0-287/2021 में अपीलकर्ता को दिनांक 17.09.2021 से दिनांक 09.05.2022 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था, ऐसे में उन्हें जिला पदाधिकारी, सारण के समक्ष अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं मिला है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि जिस WhatsApp No.8294608783 द्वारा किए गए chat को आधार बनाकर अपीलकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है, वह नंबर अपीलकर्ता का नहीं है, परंतु संबंधित प्राधिकार द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई जाँच किए बिना ही गलत तरीके से अपीलकर्ता के विरूद्ध पक्षपातपूर्ण एवं मनमाने ढंग से कार्रवाई की गयी है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के संबंध में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के सारण जिलादेश सं0-80/2021 (दफा0/चौ0) ज्ञापांक-6950/र0का0, दिनांक 24.09.2021 द्वारा तरैया थाना काण्ड सं0-287/2021, दिनांक 03.09.2021 धारा-30(ए) **बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम** के प्राथमिकी अभियुक्त चौ0-1/3, योगेन्द्र

Scanned with CamScanner

राम, पे0-स्व0 रामजी राम, सा0-आकुचक, थाना-तरैया को दिनांक 17.09.2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 18.09.2021 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त आरोप के लिए उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जाँच (कार्यवाही) प्रारंभ करने हेतु अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन कर पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक-7575/र0का0, दिनांक 13.11.2021 द्वारा वरीय उप समाहर्त्ता, सारण, छपरा को उपलब्ध कराया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, सारण छपरा के पत्र सं0-1835/सा0, दिनांक 14.12.2021 द्वारा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार मढ़ौरा को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, तरैया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा के पत्रांक-188, दिनांक 04.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए है। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के ज्ञापांक-836/सा0, दिनांक 15.06.202 द्वारा अपीलकर्ता के द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 23.07.2022 को द्वितीय कारण-पृच्छा प्रस्तुत किया गया, जिसपर सम्यक विचारोपरान्त जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक-1721/सा0, दिनांक 16.11.2022 द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन तथा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा पूछे गए द्वितीय कारण-पृच्छा से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया है तथा उनके द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा के रूप में जिला पदाधिकारी, सारण के समक्ष अपना पक्ष रखा भी गया है। ऐसे में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह आरोप कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, सही प्रतीत नहीं होता है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि अपीलकर्ता द्वारा अपने लिखित पक्ष में कहा गया है कि जिस मोबाईल नं0-8294608783 द्वारा किए गए WhatsApp chat को उनके विरूद्ध साक्ष्य बनाया गया है, वह अपीलकर्ता का मोबाईल नं0 नही है। इस क्रम में निम्न न्यायालीय अभिलेख पर थानाध्यक्ष तरैया, सारण द्वारा अग्रसारित पृ0 के क्र0 सं0-08 पर अपीलकर्ता, योगेन्द्र राम द्वारा अपना मोबाईल नं0-8294608783 अंकित कर उसपर हस्ताक्षर किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मोबाईल नं0-8294608783 का प्रयोग अपीलकर्ता द्वारा किया जाता रहा है।

उक्त के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत समुचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। उक्त के

Scanned with CamScanner

अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैः-

(i) इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता द्वारा मुख्यतः दो बिन्दुओं पर आपत्ति दी गयी है। पहला, **जिला पदाधिकारी, सारण के समक्ष उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है** तथा दूसरा, **जिस मोबाईल नं0-8294608783 के WhatsApp chat को आधार बनाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी है, वह मोबाईल नंबर अपीलकर्ता का नहीं है।**

(ii) अभिलेख के अवलोकन में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा के कतिपय पत्र द्वारा कारावास अवधि में अपीलकर्ता का पक्ष प्राप्त कर उपलब्ध कराने का अनुरोध अधीक्षक, मंडल कारा, सारण, छपरा से किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। साथ ही जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध कराते हुए इस संबंध में उनसे द्वितीय स्पष्टीकरण की मांग किया गया है तथा अपीलकर्ता द्वारा अपना द्वितीय स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः अपीलकर्ता का यह आरोप कि उन्हें जिला पदाधिकारी, सारण के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है।

(iii) मोबाईल नं0-8294608783 के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी/द्वितीय कारण-पृच्छा में नहीं रखा गया है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत मोबाईल नं0 को अपना मानने से इंकार किया गया है। जबकि अभिलेख पर उपलब्ध कागजात जो थानाध्यक्ष, तरैया द्वारा अग्रसारित किया गया है तथा अंकित सूचनाओं पर अपीलकर्ता का हस्ताक्षर है, में अपीलकर्ता का मोबाईल नं0-8294608783 अंकित पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त मोबाईल नं0 का प्रयोग किया जाता रहा है। यदि यह मान भी किया जाय कि प्रश्नगत मोबाईल नं0 अपीलकर्ता का नही है तो भी व्यवहारिक रूप में किसी मोबाईल उपभोक्ता द्वारा अपने नाम से मोबाईल नं0 निर्गत कराए बिना भी उक्त मोबाईल नं0 का उपयोग करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त मोबाईल नं0 का प्रयोग अपीलकर्ता द्वारा किया गया है। अभिलेख के अवलोकन में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य नहीं पाया गया है, जिससे यह माना जा सके कि प्रश्नगत मोबाईल नं0 का प्रयोग अपीलकर्ता द्वारा नहीं किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से संचालन पदाधिकारी के कार्यवाही प्रतिवेदन एवं उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण के आदेश ज्ञापांक-1721/सा0, दिनांक 16.11.2022 द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner